भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2036

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ब्रेन स्टेम मृत्यु के मामले

+2036. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रेन स्टेम डेथ/ब्रेन डेथ मामलों की सही से पहचान और प्रमाणीकरण न होने के कारण भारत में अंगदान की दर निम्न स्तर पर बनी हुई है, जबकि कई संभावित मामलों में अंग उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि देश में अंगदान की दर एक वर्ष में प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक से भी कम दाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य अधिकारियों से गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती प्रत्येक संभावित ब्रेन डेथ मामले की पहचान करने और अंगदान के लिए वचनबद्ध संभावित दाता की जांच करने को कहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत में अंग दान की कम दर के कारणों में से एक ब्रेन स्टेम डेथ/ब्रेन डेथ मामलों की कम पहचान और प्रमाणन हो पाना है। भारत में अंग दान की कम दर के अन्य सामान्य कारणों में जागरूकता की कमी, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता शामिल हैं।

ब्रेनडैथ आमतौर पर सिर पर सीधे दर्दनाक चोट (जैसे सड़क दुर्घटना) और मस्तिष्क आघात के मामलों में होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2022" के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं से कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान लगभग 1.68 लाख लोगों की जानें गईं। इसी तरह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्ट्रोक की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश, 2019 के अनुसार, अध्ययनों का अनुमान है कि स्ट्रोक की घटना प्रति 100,000 आबादी पर 116 से 163 तक भिन्न-भिन्न होती है। यदि समय पर पहचान और प्रमाणन किया जाए, तो सड़क दुर्घटना के रोगियों के साथ-साथ स्ट्रोक के रोगियों में भी अंग दान करने की संभावना होती है।

(ख): देश में मृतक अंग दान (प्रति दस लाख जनसंख्या पर अंग दाताओं की संख्या) की दर वर्ष 2012 में लगभग 0.16 से वर्ष 2023 में 0.79 तक चार गुना से अधिक बढ़ गई है। हालांकि, जनसंख्या में एक साथ वृद्धि के कारण, देश में अंग दान की दर प्रति वर्ष प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक दाता से भी कम बनी हुई है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र भेजकर गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती प्रत्येक संभावित ब्रेनडैथ मामले की पहचान करने और अंगदान के लिए वचनबद्ध संभावित दाता से पूछताछ करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सभी प्रत्यारोपण अस्पतालों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, को मृतक अंग दान को बढ़ावा देने और मस्तिष्क स्टेम मृत्यु प्रमाणन, निगरानी और मृतक अंग दाता के रखरखाव के लिए सुविधा के प्रावधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लिए सलाह जारी करने के लिए कहा गया है, ताकि सालाना दान की न्यूनतम संख्या हासिल की जा सके।

सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी दिनांक 29.12.2023 के पत्र की प्रति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:

https://notto.mohfw.gov.in/WriteReadData/Portal/News/838_1_DO_letter_dated_29.12.2023.pdf

इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक द्वारा दिनांक 02.04.2024 को जारी पत्र निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:

https://notto.mohfw.gov.in/WriteReadData/Portal/News/844_1_Implementation_of_monitoring_of_Brain_Stem_Death.pdf

*****